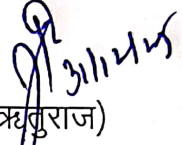


पीत पत्र के बदले में

आई०टी० मैनेजर,

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

निदेशानुसार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के ड्राफ्ट नियमावली का सूत्रण किया गया है एवं संहिता के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव से संबंधित "आवश्यक सूचना" के प्रकाशन हेतु सामग्री की प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि "आवश्यक सूचना" विभागीय वेबसाइट के Labour Code Tab एवं नोटिस बोर्ड पर निम्न अधिसूचनाओं को अपलोड किया जाय।


(ऋतुराज)

श्रमायुक्त के सचिव

श्रम संसाधन एवं प्रवासी
श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार पटना।

गै०स०प्रे०स०..... 813
दिनांक..... 31/12/25

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

आवश्यक सूचना

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2025 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट नियमावली का सूत्रण किया गया है एवं संहिता के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट बिहार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली, 2025 को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/labour/CitizenHome.html> पर किया गया है। ड्राफ्ट नियमावली विभागीय वेबसाइट के **Labour Code** एवं **Notice Board Tab** पर उपलब्ध है।

ड्राफ्ट नियमावली पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट के गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

क्र० सं०	ड्राफ्ट नियमावली का नाम	गजट संख्या एवं प्रकाशन की तिथि	आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित अवधि (गजट में प्रकाशन की तिथि से)
1	ड्राफ्ट बिहार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली, 2025	गजट संख्या-1794 दिनांक-19.12.2025	45 दिन

उक्त ड्राफ्ट नियमावली के संबंध में यदि कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त, बिहार को अथवा lcbihar@bihar.gov.in पर ईमेल से भेजा जा सकता है।


(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार